बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4 / कृ0शि0को0–78 / 2015– 1224 / कृ0, पटना, दिनांक 3/3/ 2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के फर्नीचर / साज–सज्जा हेतु 433.00 लाख रूपये (चार करोड़ तैंतीस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाइस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के फर्नीचर / साज–सज्जा हेतु 433.00 लाख रूपये (चार करोड़ तैंतीस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाइस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा किशनगंज में डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रशासनिक / शैक्षणिक भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस बीच स्थानीय व्यवस्था के तहत इस सत्र में छात्रों का नामांकन किया गया है तथा शिक्षण कार्य जारी है। महाविद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए फर्नीचर आदि की आवश्यकता है। इस मद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा 4.33 करोड़ रू0 व्यय का अनुमान किया गया है (अनुसूची–1 संलग्न)। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय नियमावली के अधीन फर्नीचर आदि से महाविद्यालय को सुसज्जित किया जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाइस हजार रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– P2415017890103 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5042 अंतर्गत विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 1883.84 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाइस हजार रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी विपत्र बी0टी0सी0 फार्म–42 में तैयार की जायेगी।

5. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

6. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के अधीन भेजा जायेगा।

7. बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी तैयार किया जायेगा तथा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा

निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.02.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ0शि0को0–78/2015 के पृ0सं0–16/टि. पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ संख्या– 19/टि0 दिनांकः 24.02.2016 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि0 (2) दिनांक 0510.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 2/3/16

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1224 /कृ0, पटना, दिनांक 3/3/, 2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/16

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1224 /कृ0, पटना, दिनांक 3/3/, 2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/16

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1224 /कृ0, पटना, दिनांक 3/3/, 2016

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/16

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1224 /कृ0, पटना, दिनांक 3/3/, 2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2/3/16

निदेशक(प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2015-16\Agriculture College Kishanganj2.docx

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
भागलपुर–813 210 (बिहार) अनुसूची-1

डॉ० अरूण कुमार
कुलपति

दूरभाष सबौर : 0641 – 2452606(का0)
फैक्स : 0641 – 2452604
पटना : 0612 – 2222267(का0)
फैक्स : 0612 – 2225364
मो०नं० : 08987374521
Email ID : vcbausabour@gmail.com

पत्रांक.....173 दिनांक 14/08/2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार सरकार
पटना।

विषयः डा0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के नये सत्र प्रारंभ करने हेतु साज–सज्जा के संबंध में।

प्रसंगः दिनांक 10.08.15 के उदघाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा वर्ष 2015 से सत्र प्रारंभ की घोषणा।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डा0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के उदघाटन कार्यक्रम, दिनांक 10.08.15 के दौरान वर्ष 2015 से ही सत्रारंभ करने की घोषणा की गई है और नामांकन प्रक्रियाधीन है।

इस संदर्भ में कहना है कि सत्र संचालन के क्रम में कार्यालय, क्लास रूम एवं छात्रावास के लिए फर्नीचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 4.33 करोड़ रूपये का प्राक्कलन आंवटन हेतु समर्पित किया जाता है। प्राक्कलन की दरें भवन निर्माण विभाग द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के फेज–1 के लिए स्वीकृत दर पर आधारित है।

अनुलग्नकः प्राक्कलन की प्रति।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार)